सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 10/2018 **दायर तारीख :–** 16-.01.2018

1. मूलचन्द पुत्र बद्रीप्रसाद
2. शिवदयाल पुत्र गणपतलाल

जाति जोगी निवासी शाहपुरा, जिला जयपुर

—— प्रार्थीगण

बनाम

1. श्रवण पुत्र बिरदा
2. रघुनाथ पुत्र बिरदा (फौत)
   2/1. नाथू पुत्र रघुनाथ
   2/2. पप्पी पुत्री रघुनाथ
   2/3. कल्या पुत्री रघुनाथ
   2/4. चौथी पुत्री रघुनाथ
3. भंवरी पत्नी बिरदा

जाति गुर्जर निवासी हरिकिशनपुरा तहसील विराटनगर, जयपुर

4. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर

—— अप्रार्थीगण

5. रामू पुत्र भौंरा जाती गुर्जर निवासी हरिकिशनपुरा, तहसील विराटनगर

—— तरतीबी अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी

उपस्थित : श्री रविशंकर अग्रवाल, अधिवक्ता प्रार्थीगण
पैरोकार सरकार

निर्णय

निर्णय दिनांक : 04.04.2019

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:41 IST
Reason: SelfAttested

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन कि[illegible]के ग्राम हरिकिशनपुरा के खसरा नम्बर 23/0.30 है[illegible] प्रार्थी संख्या 2, हिस्सा 7/8 दर हिस्सा 1/2 का प्रार्थी संख्या [illegible] 1/8 दर हिस्सा 1/2 का तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 खातेदार काश[illegible]र है तथा अपने हिस्[illegible] काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी की खातेदारी उक्त खातेदारी भूमि से लगती हुई पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 24/0.73 हैक्टेयर एवं पूर्वी–उत्तरी तरफ चालू पड़त भूमि खसरा नम्बर 22/0.43 हैक्टेयर एवं उत्तरी तरफ तरतीबी अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर 21 है। प्रार्थीगण के पड़ौसी खातेदार अप्रार्थीगण,

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तथा प्रार्थीगण की भूमि की सीमा दबाकर स्वयं कब्जा करना चाहते हैं। प्रार्थी ने अपनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 23/0.30 हैक्टेयर की तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : 2134 दिनांक 10.06.16 की पालना में दिनांक 24.06.2016 को सीमाज्ञान करवा लिया है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि की सुरक्षा व भूमि में पशुओं से होने वाले नुकसान से बचने के आशय से सीमाज्ञान अनुसार पत्थरगढी करवाना चाहता है। यह भी कि प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.06.2016 के अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने से अप्रार्थीगण का कोई अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम हरिकिशनपुरा के खसरा नम्बर 23/0.30 हैक्टेयर का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 24.06.2016 के अनुसार मौके पर पत्थरगढी किये जाने के आदेश प्रदान करें।

2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। पैरोकार सरकार उपस्थित।

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जमाबन्दी खाता संख्या 152 संवत् 2072–2075, नकल जमाबन्दी खाता संख्या 132, 130 संवत् 2072–2075, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 24.06.2016, नकल नक्शा ट्रेस आदि पेश किये।

4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।

5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। ग्राम हरिकिशनपुरा के खसरा नम्बर 23/0.30 हैक्टेयर के हिस्सा 1/2 का प्रार्थी संख्या 2, हिस्सा 7/8 दर हिस्सा 1/2 का प्रार्थी संख्या 1 व हिस्सा 1/8 दर हिस्सा 1/2 का तरतीबी अप्रार्थी संख्या 5 खातेदार काश्तकार है तथा अपने हिस्सानुसार काबिज रहकर काश्त कर रहे हैं। प्रार्थीगण व तरतीबी अप्रार्थी की खातेदारी उक्त खातेदारी भूमि से लगती हुई पूर्वी तरफ अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 24/0.73 हैक्टेयर एवं पूर्वी–उत्तरी तरफ चालू पडत भूमि खसरा नम्बर [illegible] 0.43 हैक्टेयर एवं उत्तरी तरफ तरतीबी अप्रार्थी की भूमि खसरा नम्बर [illegible] विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थी की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने अपनी की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 23/0.30 हैक्टेयर की तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक : 2134 दिनांक 10.06.16 की पालना में दिनांक 24.06.2016 को सीमाज्ञान करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:41 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अनुसार पत्थरगढी करवाये जाने से अप्रार्थीगण का कोई अधिकार प्रभावित नहीं होते है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।

6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि वाके ग्राम हरिकिशनपुरा के खसरा नम्बर 23/0.30 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 04.04.2019 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2021.07.19 16:40:41 IST
Reason: SelfAttested